संख्या-498/2017/1783/22-2-2016-17(369)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमीर अहमद पुत्र श्री कल्लन निवासी जनपद-जे0पी0 नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34885/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-05.09.2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार,आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमीर अहमद पुत्र श्री कल्लन, निवासी-मो0 चौक, कस्बा व थाना-अमरोहानगर, जनपद-जे0पी0नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 14.12.2005 को बन्दी ने अपने 03 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू से 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-42/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 12.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 11 वर्ष 06 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 08 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया कि बन्दी के 03 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं, अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जमीर अहमद (बन्दी संख्या-12547) पुत्र श्री कल्लन, निवासी-जनपद-जे0पी0 नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-498/2017/1783/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in